

न्यायालय:-राजेन्द्र कुमार अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चन्देरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण क्रं.-280 / 13
संस्थापित दिनांक-20.08.2013
Filling No.235103002872013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-

आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)।

.....अभियोगी

बनाम

लक्ष्मण सिंह पुत्र मलखान सिंह यादव, उम्र-28 साल,

निवासी-ग्राम श्यामगढ़ थाना चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)।

.....अभियुक्त

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 16.05.2018 को घोषित)

01- अभियुक्त के विरुद्ध धारा 25 (1-ए) (बी) आयुध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 01.07.2013 को समय 21:10 बजे ग्राम नडेरी तिराहा थाना चंदेरी पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक 315 बोर का देशी कट्टा एवं दो साबुत कारतूस अपने आधिपत्य में रखने का अभियोग है।

02- प्रकरण में स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्त को पुलिस ने पकड़कर थाने में बिठाया था।

03- संक्षिप्त अभियोजन प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.07.2013 को थाना चंदेरी पर सहायक उपनिरीक्षक रामबहादुर सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी थी कि थाना के अपराध क्रं. 228/13 धारा 399, 402 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपी लक्ष्मण सिंह, जण्डेल सिंह हथियार लेकर नडेरी तिराहे पर अपराध करने के आशय से बैठे हैं। सूचना की तस्दीक करने हेतु रामबहादुर सिंह सहायक उपनिरीक्षक आर.के.झरवडे, प्रधार आरक्षक प्रदीप, राकेश, सहायक उपनिरीक्षक मदन मरावी एवं साक्षी मौजुद्धीन व नोसाद के साथ शासकीय वाहन से घटना स्थल नडेरी तिराहा पहुंचे तो पुलिस को देखकर उक्त दोनों व्यक्ति भागने लगे, जिनमें से आरोपी लक्ष्मण सिंह को पुलिस ने घेरकर पकड़ लिया। आरोपी से उसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम लक्ष्मण सिंह बताया और जब उसकी तलाशी ली गई तो बांयी तरफ पेंट के नीचे एक 315 बोर का कट्टा तथा पेंट की दाहिनी जेब में दो 12 बोर के जिन्दा कारतूस छिपाये मिला। अभियुक्त से उक्त कट्टा व कारतूस की अनुज्ञप्ति मांगी गयी तो अनुज्ञप्ति न होना बताया। अभियुक्त का कृत्य धारा 25-27 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से जप्ती पत्रक प्रपी-1, साक्षी मौजुद्धीन व नोसाद के समक्ष बनाकर कट्टा व कारतूस विधिवत जप्त किया गया। अभियुक्त को

गिरफ्तार किया गया। विवेचना के दौरान साक्षीगण मौजूदगीन खांन, नोसाद खांन, राकेश सिंह के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किये गये। जप्त कट्टे की जांच करायी गयी एवं अभियुक्त के विरुद्ध जिला दण्डाधिकारी अशोकनगर से अभियोजन मंजूरी लेने के पश्चात एवं संपूर्ण अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

04— अभियुक्त को आरोपित धारा के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण की मांग की। धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त द्वारा स्वयं को निर्दोष होना प्रकट किया तथा बचाव साक्ष्य न देना प्रकट किया।

05— न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न है कि :-

1.	क्या अभियुक्त द्वारा घटना के समय ग्राम नडेरी तिराहा थाना चंदेरी में अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक 315 बोर का देशी कट्टा एवं दो साबुत कारतूस अपने आधिपत्य में रखे पाया गया ?
----	--

विचारणीय प्रश्न पर सकारण निष्कर्ष

06— प्रकरण के स्वतंत्र साक्षी मौजूदगीन (अ.सा.-1), नोसाद खांन (अ.सा.-2) अपनी साक्ष्य में व्यक्त किया है कि वह अभियुक्त को पहचानते हैं तथा वे पुलिस के साथ घटना स्थल नडेरी तिराहे पर गये थे, तब घटना स्थल से अभियुक्त से एक 12 बोर का कट्टा व कारतूस जप्त किये गये थे। उक्त साक्षियों ने जप्ती पत्रक प्रपी-1 व गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-2 के क्रमशः ए से ए एवं बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया। साक्षी मौजूदगीन ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-3 में यह प्रकट किया है कि कोनसा शस्त्र आरोपी से जप्त किया था वह नहीं जानता। किंतु बचाव पक्ष द्वारा ही यह सुझाव दिया गया कि वह कट्टे की आकृति एवं प्रकार नहीं बता सकता, जबकि प्रकरण में कट्टा ही जप्त किया गया है। इस प्रकार बचाव पक्ष द्वारा सुझाव के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण में कट्टा जप्त होना स्वीकार कर लिया है। उक्त साक्षी ने घटना तीन चार बजे की होना प्रकट किया है तथा रात के सात बजे की होने से इंकार किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी-6 में घटना का समय 21:10 बजे होना लेख है। इस प्रकार साक्षी ने घटना का समय सही नहीं बताया है। किंतु साक्षी के घटना के बाद से लगभग चार वर्ष पश्चात न्यायालय में कथन हुये हैं जिससे घटना का सही सही समय उक्त साक्षी को याद न होना स्वाभाविक है।

07— साक्षी नोसाद खांन (अ.सा.-2) ने अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्नों में घटना के संबंध में यह सुझाव दिये जाने पर अभियुक्त से 315 बोर का कट्टा व 312 बोर के दो साबुत कारतूस जप्त नहीं किये गये थे, किंतु बचाव पक्ष द्वारा साक्षी को प्रतिपरीक्षण की कंडिका-3 में यह सुझाव दिया गया है कि नडेरी तिराहे पर वह कितनी देर रुके

थे तब साक्षी ने व्यक्त किया कि 15 मिनट के लगभग नडेरी तिराहे पर रुका था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी-6 के अनुसार घटना स्थल नडेरी तिराहा है इस प्रकार बचाव पक्ष द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से घटना स्थल के संबंध में साक्षी को सुझाव देकर घटना स्थल नडेरी तिराहा होना स्वीकार कर उसकी पुष्टि की है। जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त साक्षी घटना के समय पुलिस के साथ घटना स्थल पर गया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-4 में यह भी व्यक्त किया है कि घटना स्थल पर केवल अभियुक्त को ही पकड़ा था। इस प्रकार साक्षी ने अपने मुख्य कथन में अभियुक्त से कट्टा जप्त होना व अपने प्रतिपरीक्षण में घटना स्थल पर पुलिस के उपस्थित होने की पुष्टि की है।

08— साक्षी अब्दुल हमीद खान (अ.सा.-5) ने उक्त साक्षी मौजुद्धीन व नोसाद के कथन उनके बताये अनुसार लेख करना व्यक्त किया है, जिसका बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण में खंडन नहीं किया जा सका है। साक्षी कलेक्टर सिंह (अ.सा.-3) ने अपनी साक्ष्य में व्यक्त किया है कि उसे दिनांक 08.07.2013 को चंदेरी थाना से प्रकरण में जप्त देशी कट्टा 315 बोर व दो कारतूस की जांच के द्वारा की गयी थी, जिसमें कट्टे की लंबाई 13 सेमी., कट्टे में बैरल पीतल की बॉडी लगी होना तथा पीतल की ग्रिप लगी होना, कट्टे का हेमर ट्रिगर, फायर पिन लगे होना तथा कट्टे के सभी भाग चालू हालत में वह सही काम करना पाया था और फायर करने पर फायर हो सकता था। साक्षी ने जांच के दौरान 315 बोर के दो साबुत कारतूसों की जांच की थी जिसकी रिप पर 8 एमएम केयर लिखा हुआ पाया था। साक्षी ने अपना जांच प्रतिवेदन प्रपी-4 न्यायालय में अपने हस्ताक्षरों से साक्ष्य में प्रमाणित किया है।

09— साक्षी अब्दुल हमीद खान (अ.सा.-5) ने यह भी व्यक्त किया है कि कट्टा उसे सील हालत में जांच हेतु प्राप्त हुआ था और उसने जांच उपरांत उक्त कट्टा सील करके ही उप निरीक्षक रामकिशोर झरवडे को वापिस किया था। बचाव पक्ष द्वारा उक्त साक्षी को प्रतिपरीक्षण की कंडिका-4 में पूछे जाने पर साक्षी ने व्यक्त किया कि जप्तसुदा कट्टा व कारतूस अंदर से कागज में लिपटे हुये थे और बाहर कपडे से बंधे हुये थे, जिस पर चपडा की सील नहीं लगी हुयी थी। कागज व कपडे में लपेटकर उस पर चपडी की सील न लगाने पर यह नहीं कहा जा सकता कि प्रकरण में जांच में लाया गया कट्टा, जप्त किया गया कट्टा नहीं है क्योंकि जप्ती पत्रक प्रपी-1 में भी कट्टे पर पीतल की बॉडी व लकडी का बट लगे होने का उल्लेख है, जिसे जांचकर्ता उक्त साक्षी ने भी जांच के दौरान उक्त कट्टे में भी पाया था। इस प्रकार प्रकरण में जप्त कट्टे की पहचान की जांचकर्ता द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रपी-4 से भी पुष्टि होती है।

10— साक्षी पूर्णिमानंद व्यास (अ.सा.-4) ने अपनी साक्ष्य में व्यक्त किया है कि दिनांक 08.08.2013 को थाना चंदेरी के अपराध क्रं. 234/13 में अभियुक्त लक्ष्मण के विरुद्ध 315 बोर का देशी कट्टा व दो साबुत कारतूस रखने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट संतोष मिश्रा के द्वारा अभियोजन चलाने की अनुमति आदेश प्रपी-5 के द्वारा दी गयी थी, जिसके बी से बी भाग पर संतोष मिश्रा के तथा ए से ए भाग पर अपने

हस्ताक्षर होना व्यक्त किया है। बचाव पक्ष के इस सुझाव को साक्षी ने स्वीकार किया है कि आदेश के उपरी भाग पर दिनांक व स्थान रिक्त है, किंतु साक्षी ने व्यक्त किया कि नीचे तरफ दिनांक, स्थान व हस्ताक्षर लेख है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-4 में यह स्वीकार किया है कि अभियोजन अनुमति आदेश प्रपी-5 में कार्यालीन मुद्रा नहीं लगी है किंतु साक्षी ने संपूर्ण अनुमति आदेश प्रपी-5 एवं उस पर जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर प्रमाणित किया है जिससे मात्र कार्यालीन मुद्रा न लगी होने से उक्त आदेश अवैध नहीं हो जाता, वह केवल तकनीकी त्रुटि है।

11— साक्षी रामबहादुर सिंह (अ.सा.-6) ने अपनी साक्ष्य में व्यक्त किया है कि उसे दिनांक 01.07.2013 को थाना चंदेरी के अन्य अपराध क्रं. 234/13 में फरार आरोपी लक्ष्मण सिंह के उपस्थित होने की सूचना मिली थी तब वह थाने के अन्य पुलिस बल के साथ व साक्षियों के साथ घटना स्थल नडेरी तिराहा पर गया था और आरोपी लक्ष्मण सिंह को पकड़ा था। अभियुक्त की तलाशी लेने पर उसके पास से एक देशी कट्टा व दो कारतूस मिले थे, किंतु आरोपी से कट्टा व कारतूस रखने की अनुज्ञप्ति मांगे जाने पर भी न होना व्यक्त किया है। जिससे अभियुक्त से देशी कट्टा व साबुत कारतूस जप्ती पत्रक प्रपी-1 बनाकर जप्त किये थे व गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-2 बनाकर उसे गिरफ्तारी किया था। उसके पश्चात थाने आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी-6 साक्षी द्वारा लेखबद्ध की गयी थी। साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-3 में यह स्वीकार किया कि उसने न्यायालीन प्रकरण का अवलोकन कर साक्ष्य दी है। किंतु उक्त साक्षी विवेचक है और उसके द्वारा कई प्रकरणों में अनुसंधान किया जाता है जिससे यह संभव नहीं है कि उसकी स्मृति में सभी प्रकरणों की अनुसंधान उसे याद है। **धारा 159 भारतीय साक्ष्य अधिनियम** के अंतर्गत साक्षी का प्रकरण का अवलोकन कर स्मृति ताजा करना उपबधित है। जिससे साक्षी द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालीन साक्ष्य देने में कोई त्रुटि नहीं की, जिसका लाभ अभियुक्त को मिल सके।

12— साक्षी रामबहादुर सिंह (अ.सा.-6) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-5 में जप्ती पत्रक प्रपी-1 में नमूना सील न लगाया जाना स्वीकार किया है किंतु साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसने अपने हाथ से कट्टे के लिफाफे को चिपकाकर उस पर साक्षियों के हस्ताक्षर कराकर सील किया था तथा यह भी स्वीकार किया है कि कारतूस आसानी से बाजार में मिल जाते हैं। किंतु बचाव पक्ष द्वारा यह प्रकट नहीं किया गया है कि जप्तीकर्ता रामबहादुर सिंह की अभियुक्त से कोई रंजिश थी और प्रकरण में जप्त कारतूस उसने स्वयं बाजार से खरीद लिये हो, न ही ऐसा उक्त सुझाव साक्षी को प्रतिपरीक्षण में दिया है। बचाव पक्ष द्वारा उक्त साक्षी को यह सुझाव दिया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी-6 में रोजनामचा सान्हा क्रमांक का उल्लेख नहीं किया है। लेकिन साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-7 में थाने से जाने व वापस आने का रोजनामचा सान्हा लेख किया जाना बचाव पक्ष के द्वारा पूछे जाने पर स्पष्ट किया है।

13— प्रकरण में रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत न करना अभियोजन की त्रुटि हो सकती है। जबकि प्रकरण के स्वतंत्र साक्षियों ने अभियुक्त से कट्टा जप्त होने का समर्थन किया है, जिसका खंडन बचाव पक्ष द्वारा नहीं किया गया है, जिससे इस आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता कि अभियोजन की ओर से प्रकरण में घटना का रोजनामचा सान्हा प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। बचाव पक्ष द्वारा उक्त साक्षी को प्रतिपरीक्षण की कंडिका-6 में प्रकरण के साक्षी मौजुद्धीन व नोसाद को अपने साथ घटना स्थल पर ले जाने का सुझाव भी दिया है, जिसे साक्षी ने स्वीकार किया है। इस प्रकार यह प्रमाणित है कि घटना स्थल पर दोनों स्वतंत्र साक्षी उपस्थित थे।

14— बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क किया है कि पुलिस ने घटना स्थल पर उपस्थित अन्य व्यक्तियों को प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी के रूप में साक्षी नहीं बनाया है, जिससे अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है। न्याय दृष्टांत **श्रवण विरुद्ध म.प्र. राज्य 2006 (2) ए.एन.जे. (एम.पी.) 235, दशरथ विरुद्ध म.प्र. राज्य 2008 एम.पी. 360** माननीय न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया है कि जप्ती पंचनामा कोई तात्त्विक साक्ष्य नहीं होता है बल्कि उसके तथ्यों को संबंधित साक्षियों से प्रमाणित करना आवश्यक है। प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी मौजुद्धीन व नोसाद ने भी अभियुक्त से कट्टा जप्त करने के संबंध में अभियोजन का समर्थन किया है।

15— न्याय दृष्टांत **नाथू सिंह विरुद्ध म.प्र. राज्य एआईआर 1973 एस.सी. 2783, कालेबाबू विरुद्ध म.प्र.राज्य 2008 (4) एमपी.एसटी. 397** में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि पंच साक्षियों के अभियोजन का समर्थन न करने पर पुलिस साक्षियों की साक्ष्य विश्वसनीय होती है और पुलिस अधिकारी की साक्ष्य केवल इस आधार पर अविश्वसनीय नहीं हो जाती कि वह पुलिस अधिकारी है। प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों के साथ साथ साक्षी पुलिस अधिकारी है जिनके प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष द्वारा कोई विरोधाभास व संदेह की स्थिति निर्मित नहीं की जा सकी है, जिससे उक्त न्याय दृष्टांतों के आलोक में सभी पुलिस साक्षियों के कथन विश्वसनीय प्रकृति के होने से प्रकरण में ग्राह्य है।

16— प्रकरण में दिनांक 01.07.2013 को अभियुक्त लक्ष्मण सिंह से देशी कट्टा 315 बोर का जप्ती पत्रक प्रपी-1 के द्वारा जप्त किया जाना दर्शित है तथा दिनांक 08.07.2013 को जांच हेतु प्रदर्श पी-4 के पत्र से भेजा जाना दर्शित है। न्याय दृष्टांत **विनोद कुमार विरुद्ध पंजाब राज्य 2014 (5) एस0सी0सी0 230** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि 'If unless the detacto complaint who also happens to be the investigation officer, is personally biased and prejudiced and personally interested to get conviction to the accused the contention cannot be sustained'.

17— विवेचक की विश्वसनीयता वाले उक्त न्याय दृष्टांत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया हैं जो प्रकरण में प्रभावी हैं। बचाव पक्ष द्वारा उक्त साक्षियों के द्वारा की गई कार्यवाही अभियुक्त के विरुद्ध किसी रंजिशवश या प्रकरण में फंसाने के आशय से की गई हो ऐसा प्रकरण में व साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में प्रमाणित नहीं किया गया है जिससे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त न्याय दृष्टांतों में मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत प्रकरण में लागू होते हैं।

18— प्रकरण में जप्तीकर्ता रामबहादुर सिंह (अ.सा.-6) ने जप्ती पत्रक प्रपी-1 व प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी-6 को अपने अखण्डनीय साक्ष्य में प्रमाणित की है, जिसका समर्थन प्रकरण के स्वतंत्र साक्षी मौजुद्धीन व नोसाद के द्वारा भी किया गया है। प्रकरण के विवेचक रामबहादुर सिंह से अभियुक्त की कोई रंजिश व बुराई हो जिससे वह अभियुक्त को झूठे प्रकरण में फसा सकता है। इस प्रकार का कोई तथ्य बचाव पक्ष की ओर से प्रकरण में प्रकट नहीं किया गया है। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त अपने पास एक देशी कट्टा व कारतूस रखे हुये था। अभियुक्त की ओर से उक्त कट्टे के रखने की अनुज्ञप्ति प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की है और न ही पुलिस के समक्ष प्रस्तुत की है, जिससे यह कहा जा सकता कि अभियुक्त ने बिना अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में उक्त कट्टा व कारतूस रखे। अतः उपरोक्त विवेचना से अभियुक्त लक्ष्मण सिंह द्वारा बिना अनुज्ञप्ति के देशी कट्टा 315 बोर व दो कारतूस रखना प्रमाणित पाया जाता है। अतः अभियुक्त लक्ष्मण सिंह को धारा 25(1-बी) (ए) आयुध अधिनियम के अंतर्गत सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

19— अभियुक्त लक्ष्मण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु थोड़ी देर के लिये स्थगित किया जाता है।

राजेन्द्र कुमार अहिरवार
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

पुनश्च :-

20— दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया अभियुक्त को न्यूनतम दण्ड से दंडित किया जावे। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त लक्ष्मण सिंह को निम्नानुसार दंडित किया जाता है :-

अभियुक्त का नाम	धारा	कारावास	जुर्माना	व्यतिक्रम पर कारावासीय दण्ड
लक्ष्मण पुत्र मलखान सिंह यादव	धारा 25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम	एक वर्ष का सश्रम कारावास	2000/- (दो हजार रुपये) रुपए जुर्माना	जुर्माने के व्यतिक्रम में दो माह का सारधारण कारावास

21— अभियुक्त के जमानत एवं मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

22— प्रकरण में जप्तशुदा देशी कट्टा 315 बोर व दो कारतूस अपील अवधि पश्चात् राजसात की जावे। राजसात की कार्यवाही हेतु जिला मजिस्ट्रेट अशोकनगर की ओर भेजा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का आदेश मान्य होगा।

23— अभियुक्त का धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता का अभियुक्त अभिरक्षा अवधि का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

24— अभियुक्त द्वारा बितायी गयी अभिरक्षा अवधि में से सजा अवधि का मुजरा किया जावे।

25— अभियुक्त लक्ष्मण सिंह का सजा वारंट बनाया जावे।

26— अभियुक्त को निर्णय की निःशुल्क प्रति प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

राजेन्द्र कुमार अहिरवार
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

राजेन्द्र कुमार अहिरवार
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)